फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

कल्याणसहाय बनाम जवानसिंह वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 33 / 2024

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.04.2024	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेश मीना एड0 द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा बडली पटवार हल्का ब्रा0 बैराडा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 163 में आगामी आदेश तक विवादित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिटर्ड डाक से की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 25.06.2024 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा) ~~पत्रावली पेश हुई, वकीलो द्वारा कार्य स्थगत/P.O श्री राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक ______ को पेश हो।~~	
25/6/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित [illegible] हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर दिनांक 13/8/24 को पेश हो।	
13/8	पत्रावली पेश हुई, वकीलो द्वारा कार्य स्थगत/P.O श्री राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 15/10/24 को पेश हो।	
15/10/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी [illegible] अ.उ. पत्रावली में पेशी हेतु बार-बार [illegible] [illegible] के आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी हाजिर नहीं आया [illegible] अतः पत्रावली अदम हाजिरी [illegible] खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	